मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पीठासीन अधिकारी- श्री चंद्रोदय कुमार, H. J. S.

M. A. C. P. No.- 613/2019

दीपक कुमार पुत्र श्री रामबाबू, आयु- 34 वर्ष, निवासी- ग्राम व पोस्ट करगुवां, तहसील- मोठ, जिला- झाँसी उ. प्र.

- - - - - - - - याची/आवेदक

बनाम

1. नरेश कुमार पुत्र श्री प्रभु, पता- ग्राम क्योलारी, थाना- रेढर, जिला- जालौन, उ. प्र. (चालक मारुति कार संख्या- MH45N0853)
2. भगवान सिकन्दर पुत्र श्री अब्दुल गनी, निवासी- A/P ओल्ड सेव रोड मार्केट यार्ड, संगोला टाल, संगोला, जिला- सोलापुर, महाराष्ट्र (स्वामी मारुति कार संख्या- MH45N0853)
3. श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. E- 8, EPIP, RIICO, Sitapura, Jaipur, Rajasthan- 302022 INDIA जरिये क्लेम इंचार्ज श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि., मुन्ना लाल पावर हाउस के सामने, स्टीफन हाउस, झाँसी (बीमाकर्ता मारुति कार संख्या- MH45N0853)

- - - - - - - - - विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- **श्री राजीव गुप्ता**
विपक्षीगण के अधिवक्ता- **श्री ~~दीपक श्रीवास्तव~~** राजीव शर्मा

राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांकः10.07.2021

आज यह पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। याची दीपक कुमार मय अधिवक्ता उपस्थित हैं। विपक्षी संख्या- दो श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक श्रीवास्तव उपस्थित हैं।

उभय पक्ष की ओर से सन्धि पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में याची एवं विपक्षी संख्या- दो के मध्य प्रतिकर की धनराशि ₹75,000 के लिए राजीनामा हो गया है, जिससे याची संतुष्ट है। अतः उक्त प्रकरण उपरोक्त राजीनामा के आधार पर निस्तारित कर दिया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि याची ने दिनांक 4/3/19 को कथित सड़क दुर्घटना में स्वंय को आई गम्भीर चोटों के लिए ₹14,50,000 प्रतिकर की मांग करते हुये वर्तमान याचिका योजित की है और दौरान विचारण उक्त राजीनामा प्रपत्र प्रस्तुत करते हुये राजीनामा के आधार पर याचिका निस्तारित किये जाने का आग्रह किया है। उक्त राजीनामा प्रपत्र पर याची के हस्ताक्षरों की शिनाख्त उसके विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता के द्वारा तथा विपक्षी संख्या- दो की शिनाख्त श्री दीपक श्रीवास्तव द्वारा की गयी है। उक्त राजीनामा को न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित किया गया है। अन्य किसी विपक्षी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी।

चूँकि इस प्रकरण में याची एवं विपक्षीगण के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः उपरोक्त राजीनामा को स्वीकार करते हुये उक्त प्रकरण राजीनामा के आधार पर निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

याची एवं विपक्षी संख्या- दो की ओर से प्रस्तुत सन्धि पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वर्तमान प्रतिकर याचिका याची **दीपक कुमार** एवं विपक्षी संख्या- दो **श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी** की ओर से प्रस्तुत उक्त राजीनामा के आधार पर ₹**75,000** प्रतिकर हेतु निर्णीत की जाती है। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे इस निर्णय के तीस दिवस के अन्दर प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि न्यायाधिकरण के पंजाब नैशनल बैंक के खाता संख्या- 3671000101192489 (IFSC: PUNB0367100) में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करे। उपरोक्त प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि याची RTGS/NEFT के माध्यम से नकद प्राप्त करेगा। उक्त राजीनामा/सन्धि पत्र इस निर्णय का भाग रहेगा।

Corrected vide order dated 25.7.2021

PO, MACT,
JHANSI
25.07.2021

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.25 14:02:21 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal JHANSI

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.10 10:45:24 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI